वित्तीय स्वीकृति

संख्या-१२/२०१९/491/52-3-19-बजट(20)/2017

प्रेषक,

इच्छाराम,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3, लखनऊ: दिनांक 30 मार्च, 2019

विषयः-वित्तीय वर्ष 2018-19 में मेडिकल/इंजीनियरिंग के व्यवसायिक पाठयक्रमों में परीक्षापूर्व कोचिंग की व्यवस्था हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-6156/अ0स0क0नि0/कोचिंग/2018-19, दिनांक 13.03.2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय व्ययक) अनु0-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 के प्रस्तर-2(5) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 मे मेेडिकल/इंजीनियरिंग व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में परीक्षा पूर्व कोचिंग की व्यवस्था हेतु आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 15.00 लाख के सापेक्ष अवशेष द्वितीय किश्त रू0 07.50 लाख (रू0 सात लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि निम्नांकित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः-

(1) कोषागार से धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा तथा धनराशि को आहरित कर बैंक/डाक घर में जमा नहीं किया जायेगा।

(2) उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि भवनों के रख रखाव इत्यादि के लिये उन्हीं मदरसों को अनुदान दिया जायेगा, जिनका स्वामित्व स्वयं मदरसों का ही हो अथवा उनको संचालित करने वाली संस्था का हो।

(3) यह वित्तीय स्वीकृतियाॅ जिलों को तत्काल आवंटित कर दी जाय तथा जिलेवार आवंटित धनराशि की सूचना तत्काल शासन को उपलब्ध करायी जाय।

(4) उक्त पर होने वाला व्यय शासन द्वारा समय≤ पर निर्गत शासनादेशों/दिशा निर्देशों के अनुरुप सुनिश्चित किया जायेगा ।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 31.03.2019 तक उपलब्ध कराया जायेगा।

(6) वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग, नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(7) यह सुनिश्चित करेगें कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नही हो रही है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(8) वित्त बजट अनु0-2 के शासनादेश दिनांक 26.08.2014 में उल्लिखित दिशा निर्देशो का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा।

2- उपरोक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखाशीर्षक-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गाेंं का कल्याण- 80-सामान्य-190-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को सहायता-0305-मेडिकल/इंजीनियरिंग के व्यवसायिक पाठयक्रमों में परीक्षापूर्व कोचिंग व्यवस्था हेतु अनुदान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) केे नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र सं0-ई-4-248/दस-19, दिनांक 30 मार्च, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(इच्छाराम)
अनु सचिव

संख्या- 491(1)/52-3-19-तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।

2-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

3-कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

4-रजिस्ट्रार, उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, 704, जवाहर भवन, लखनऊ।

5-वित्त (ई-4) अनुभाग/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1(02 प्रतियों में)/नियोजन अनुभाग-3 संबंधित सहायक/गार्ड फाईल।

6-अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1

आज्ञा से,

(इच्छाराम)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।